

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्राथीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
वीराराम पुत्र पदमाराम जाति दर्जी, निवासी थूम्बली तहसील शिव, जिला बाडमेर वगैरा (03)		तेजाराम पुत्र सांगाराम जाति सुधार, निवासी थूम्बली तहसील शिव, जिला बाडमेर वगैरा (12)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 111,128)

मुकदमा नम्बर 04/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
02.01.2023	प्राथी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री भगवानदास गोयल ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 10.02.23 को पेश हो।	Reg. Ad नोटिस तामिली हेतु 101-112 18/01/23
10.2.23	पत्रावली पेश हुई। प्राथी अधिवक्ता उपस्थित। प्राथी अधिवक्ता द्वारा विप्रार्थी के नोटिस व रजिस्टर्ड सडु की राईदे पेश की। जिसे उपस्थित पत्रावली क्लिप जम्मा। पत्रावली वास्ते डिप्लेवरी रिजॉरे का इन्तगार होकर दिनांक 17.3.23 को पेश हो।	उपखण्ड अधिकारी शिव
17.3.23	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीम्बर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इन्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 19.04.23 को पेश हो।	उपखण्ड अधिकारी शिव
19.4.23	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीम्बर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इन्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 24.5.23 को पेश हो।	

नम्बर
अहकाम
हुकम
में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

0.07.25

पत्रावली पेश। प्राची माघिबन्ता अनुपास्थित।
पत्रावली वास्ते। विद्यार्थीगण का इतरकार
छेकर दिनांक 18.08.25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
शिव

18.08.25

पत्रावली पेश। प्राची माघिबन्ता अनुपास्थित।
पत्रावली में उभावी पैरवी हेतु न्यायालय
समय में प्राची व प्राची वकील को रुक-
रुकर बार-बार आवानें दी जाने
के बावजूद अनुपास्थित। मल पत्रावली में
कोई उभावी पैरवी नहीं होने तथा प्राची व
प्राची माघिबन्ता के अनुपास्थित रहने पर
उक्त आवेदन अक्षम हाजरी व मक्षम पैरवी
में खारिज ठिथा जात हैं।
पत्रावली नम्बर में त्रुटि छेकर
शुद्धि कर दे।

उपखण्ड अधिकारी
शिव